पुरी की तर्ज पर निकली भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा

श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर (बड़ा दिवाला) से सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा साथ निकाली गई

नवभारत न्यूज

पन्ना, 16 जुलाई। पुरी के बाद म0 प्र0 में निकलने वाली भगवान श्री जगन्नाथ स्वामीजी की रथ यात्रा आज पूरे आस्था एवं वैभव के साथ निकली । पन्ना में श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर (बड़ा दिवाला) से सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की भव्य रथयात्रा पूरी धार्मिक श्रद्धा, हर्षोल्लास और राजकीय वैभव के साथ निकाली गई।

इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए पूरा पन्ना शहर आस्था के रंग में सराबोर नजर आया ।सदियों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए पन्ना महाराज ने रथयात्रा से जुड़ीं पारंपरिक रस्मों को विधि-विधान के साथ पूरा किया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया।इस गौरवमयी क्षण के दौरान पुलिस बल द्वारा भगवान जगन्नाथ स्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर (सलामी) दिया गया।

संतों एवं जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद-इस वर्ष की रथयात्रा आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का अनूठा केंद्र रही। यात्रा में पूज्य रावतपुरा सरकार सहित वृंदावन के प्रख्यात साधु-संत एवं चित्रकूट से आए बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इसके साथ ही स्थानीय सांसद, क्षेत्रीय विधायक ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक श्रीकांत दुबे, कलेक्टर पन्ना श्रीमती उषा परमार, एडीशनल एसपी पन्ना बंदना सिंह चौहान, सीइओ जिला पंचायत एवं अपर कलेक्टर सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भगवान के रथ के समक्ष शीश नवाकर आशीर्वाद लिया।

रामबाग गल्ला मंडी में होगा प्रथम पड़ाव

पन्ना की गलियों से गुजरते हुए भगवान जगन्नाथ की यह पावन रथयात्रा आज अपने प्रथम पड़ाव स्थल श्रामबाग गल्ला मंडी पहुंचेगी, जहां भगवान विश्राम करेंगे। मंदिर समिति के अनुसार, आज रात्रि विश्राम और दर्शन के उपरांत कल यह रथयात्रा अपने अगले गंतव्य श्लखुरनश् के लिए प्रस्थान करेगी। यात्रा मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा तोरण द्वार बनाकर और पुष्पवर्षा कर भगवान का आत्मीय आरती पूजन कर स्वागत किया गया।

5 लाख की 95 पेटी अवैध शराब जब्त

नवभारत न्यूज

पन्ना, 16 जुलाई। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में जिलेभर में अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में सुनवानी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पिकअप वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब जप्त करने में सफलता प्राप्त की है। गत दिवस की दरम्यानी रात्रि में थाना प्रभारी सुनवानी निरीक्षक हरवचन सिंह कुडापे को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि किशनगढ़ रोड से अमानगंज की ओर एक पिकअप वाहन में अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान पर घेराबंदी की गई। पुलिस टीम ने किशनगढ़-अमानगंज मुख्य मार्ग स्थित ग्राम उड़ला के पास बिना नंबर प्लेट की एक पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें देशी मदिरा प्लेन की 95 पेटियों में कुल 855 लीटर अवैध शराब तथा 12 पानी की बोतलों की पेटियां रखी हुई मिलीं। पुलिस द्वारा वाहन से बरामद अवैध शराब, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ?4.27 लाख तथा पिकअप वाहन सहित कुल लगभग ?15.30 लाख मूल्य का मशरूका विधिवत जप्त किया गया। आरोपी चालक के विरुद्ध धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है तथा फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।

नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान का एडीशनल एसपी ने किया शुभारंभ

नागरिकों को दिलाई गई शपथ

नवभारत न्यूज

पन्ना, 16 जुलाई। मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में प्रदेशव्यापी नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 जनजागरूकता अभियान का शुभारंभ आज 15 जुलाई 2026 से किया गया। यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में संचालित होगा।

अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज, विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करते हुए जनसहभागिता के माध्यम से नशा-मुक्त मध्यप्रदेश एवं नशा-मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पन्ना सुश्री वंदना सिंह चौहान द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पन्ना से अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं पुलिस लाइन पन्ना के अधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री वंदना सिंह चौहान ने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। उन्होंने सभी को स्वयं किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार, समाज एवं आसपास के लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी गंभीर बाधा उत्पन्न करता है। नशे के विरुद्ध जनजागरूकता ही इस सामाजिक बुराई पर प्रभावी नियंत्रण का सबसे सशक्त माध्यम है। शपथ ग्रहण के उपरांत पन्ना शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली के माध्यम से नागरिकों को नशे से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों की जानकारी दी गई तथा युवाओं से नशे से दूर रहकर स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन अपनाने का आह्वान किया गया। रैली के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आमजन को नशे के विरुद्ध जागरूक करते हुए अभियान से जुड़ने की अपील की। अभियान के दौरान आगामी दिनों में जिलेभर में जागरूकता रैलियां, नुक्कड़ नाटक, संगोष्ठियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, विद्यालय एवं महाविद्यालयों में विशेष व्याख्यान, सामुदायिक संवाद, ग्राम स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से जनसंपर्क अभियान आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों, विशेषकर युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित किया जाएगा। पन्ना पुलिस ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे स्वयं नशे से दूर रहें, अपने परिवार एवं समाज के लोगों को भी नशे के प्रति जागरूक करें तथा किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के अवैध कारोबार या नशे से संबंधित गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।

पुलिस ने जारी किया पार्किंग एवं डायवर्सन प्लान

श्रीमद्भागवत कथा के आयोजन को लेकर पुलिस ने की व्यवस्था

नवभारत न्यूज

पन्ना, 16 जुलाई। 16 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक श्री जुगल किशोर मंदिर, पन्ना में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रृद्धालुगणों अपने - अपने वाहनों से आने की सम्भावना है जिसमें श्रृद्धालुओं की सुगमता,भीड नियंत्रण एवं शहर के मुख्य मार्गो पर सुचारू यातायात व्यवस्था संचालन हेतु वाहनों की पार्किंग व्यवस्था एवं मार्ग डायवर्सन प्लान यातायात पुलिस पन्ना के द्वारा तैयार किया गया है ।

जिसके अनुसार श्रीमद्भागवत कथा कार्यक्रम मे आने प्रतिष्ठित व्यक्तियों,श्रृद्धालुगणों के दो पहिया वाहनों की पार्किंग लवकुश वाटिका व डायमण्ड पब्लिक स्कूल में व्यवस्था की गयी है । श्रीमद्भागवत कथा कार्यक्रम एवं किशोर जी मन्दिर दर्शन करने छतरपुर, सतना व दमोह तरफ से आने वाले श्रृद्धालुगणों के चार पाहिया वाहनों की पार्किग टाउन हाल ग्राउण्ड में अन्दर विधिवत् वाहनों को पार्क करना सुनिश्चित करेंगे । छतरपुर, सतना व दमोह तरफसे आने वाले श्रृद्धालुगणों के चार पाहिया वाहनों की पार्किग व्यवस्था टाउन हाल ग्राउण्ड में अन्दर की गयी । किशोर जी मन्दिर श्रीमद्भागवत कथा कार्यक्रम एवं किशोर जी मन्दिर दर्शन करने अजयगढ, बृजपुर व पहाडी खेरा तरफसे आने वाले सभी श्रृद्धालुगणों के चार पाहिया वाहनों की पार्किग व्यवस्था महेन्द्र भवन के अन्दर की गयी है । शहर के डायण्ड चौरहा , सिटी पोस्ट ऑफिस, मोहन निवास तिराहा, रामबाग मन्दिर के सामने तिराहा से शहर के अन्दर भारी वाहन , ट्रैक्टर ट्राली का पूर्णत: प्रवेश बन्द रहेगा ।

अजयगढ , पहाडी खेरा जाने वाले सभी वाहन छतरपुर बाइपास मार्ग से होने हुए अपने गतव्य स्थान पहुचें सभी यातायात नियमो को पालन करना सुनिश्चित करें यातायात व्यवस्था में सहयोग करना सुनिश्चित करें । श्रीमद्भागवत कथा कार्यक्रम व्ही.आई.पी. तथा संत महंतों का आवागमन मोहन निवासी चौराहा, पुराना पावर हाउस, गाँधी चौक, किशोर जी चौराहा, किशोर जी मन्दिर आना - जाना रहेगा उक्त मार्ग पर भारी वाहनों, ट्रैक्टर ट्राली का पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा । 7.गाँधी चौक से महेन्द्र भवन चौराहा मार्ग पर फोर व्हीलर, ई - रिक्शा सभी कमर्शियल वाहनों का प्रतिबंधित रहेगा कार्यक्रम मे आने वाले श्रृद्धालुगण अपने वाहनों की पार्किंग स्थल पर पार्किंग करना सुनिश्चित करेगे तथा गाँधी चौक से किशोर जी मन्दिर तक पैदल जाना चलकर कार्यक्रम शामिल होगें ।

डायवर्सन - पहाडी खेरा, अजयगढ की ओर से आने जाने वाली यात्री बस आनर्स को निर्देशित किया गया है कि आप उक्त स्थानो को बस स्टैण्ड से प्रस्थान करने वाली बसे शहर के अन्दर से पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा सभी उक्त वाहन अस्पताल तिराहा, डायमण्ड चौरहा से मोहन निवास, बाइपास रोड से होती हुई अपने गतव्य स्थानों तक पहुचेंगी ।

सहायक ग्रेड-तीन पद के लिए सीपीसीटी परीक्षा से छूट नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना, 16 जुलाई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीपीसीटी परीक्षा से छूट के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है।

इस संबंध में अवगत कराया गया है कि कतिपय विभाग एवं अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा 40 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 15 नवम्बर 1984 एवं 16 जनवरी 1992 की त्रुटिपूर्ण व्याख्या कर शासकीय सेवकों की परिवीक्षा समाप्त कर नियमितिकरण की कार्यवाही की जा रही है, जो उचित नहीं है। बताया गया है कि राज्य शासन के कार्यों को दक्षता से संपादित करने के लिए सेवाओं की अर्हताएं निर्धारित हैं। सहायक ग्रेड-तीन के पद के लिए सीपीसीटी परीक्षा भी अनिवार्य अर्हता निर्धारित की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त दोनों परिपत्र हिंदी मुद्रलेखन परीक्षा में छूट से संबंधित हैं, जबकि सीपीसीटी परीक्षा कम्प्यूटर दक्षता से संबंधित है।

हिंदी मुद्रलेखन परीक्षा एवं सीपीसीटी परीक्षा पृथक-पृथक अर्हताएं हैं। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सीपीसीटी से छूट के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है एवं न ही कोई निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध ऐसे सभी आदेशों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सीपीसीटी परीक्षा से छूट प्रदान कर शासकीय सेवकों की परिवीक्षा समाप्त कर नियमितीकरण की कार्यवाही की गई है।

आबकारी ने शहर में अवैध शराब के कई ठिकाने पर की कार्रवाई

नवभारत न्यूज

पन्ना, 16 जुलाई। पन्ना कलेक्टर श्रीमती ऊषा परमार के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी मुकेश कुमार मौर्य के मार्गदर्शन में पन्ना शहर में अवैध रूप से बिक रही शराब और सार्वजनिक स्थलों पर अवैध मदिरा पान की मिल रही शिकायतों पर कार्रवाई की गई ।

आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय ने प्राप्त शिकायतों के आधार पर पन्ना शहर में कई स्थानों पर दबिश देकर अवैध शराब विक्रय और सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा पान करते हुए पाए गए लोगों पर वैधानिक कार्यवाई की ।जगात चौकी पर स्थित कोल्ड ड्रिंक्स और नमकीन की दुकान पर अचानक दबिश देकर तलाशी ली ।जिसमें दुकान के फ्रिज में और दुकान में छिपाकर रखी 23 बोतल बीयर कुल मात्रा लगभग 15 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त की गई ।आरोपी कैलाश यादव पिता आसाराम यादव, उम्र 25 वर्ष के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) का अपराध पंजीबद्ध किया गया ।इसके बाद बायपास चौराहा के पास किराना दुकान से 46 पाव देशी मदिरा सादा जप्त कर श्रीमती शकुन कुशवाहा पति ध्रुव कुशवाहा, उम्र 45 वर्ष के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) का अपराध पंजीबद्ध किया। स्थित छतरपुर मार्ग पर स्थित राहगीर फैमिली ढाबा से 26 बोतल बीयर कुल मात्रा लगभग 17 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त की गई ।आरोपी जयहिंद यादव पिता चतुरसिंह यादव, उम्र 25 वर्ष निवासी मोहन

निवास, पन्ना के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36 (क) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसके अलावा शहर के सार्वजनिक स्थलों बेनीसागर तालाब, मठया तालाब, दहलान ताल पर सार्वजनिक मदिरा पान करने पर वीरेंद्र कुशवाहा पिता बाबूलाल कुशवाहा, उम्र 22 वर्ष निवासी एनएमडीसी कॉलोनी पन्ना, उमेश पिता राम अवतार लोधी, उम्र 32 वर्ष निवासी रानीगंज मोहल्ला पन्ना, ब्रजेश पिता चरणदास पटेल, उम्र 31 वर्ष निवासी हरदुआ खमरिया , राजू रैकवार पिता किशोरी लाल उम्र 31 वर्ष निवासी रानीगंज मोहल्ला पन्ना, दिनेश भाट पिता दशरथ भाट उम्र 38 वर्ष निवासी दहलान ताल के पास पन्ना के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36 (ख) का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय, आबकारी आरक्षक स्मिता ठाकुर, कुलदीप जाटव, रवि प्रकाश मिश्रा, सोनू कोरकू, उमाशंकर साहू, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव, मोतीलाल प्रजापति और सुरेन्द्र बुंदेला शामिल रहे

लगातार दूसरे दिन में पन्ना शहर में कार्रवाई

पन्ना शहर में आबकारी विभाग की लगातार दूसरे दिन की कार्रवाई से अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मचा है ।आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय ने पन्ना शहर में कई स्थानों पर दबिश देकर अवैध शराब विक्रय और सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा पान करते हुए पाए गए लोगों पर वैधानिक कार्यवाई की ।आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय ने बताया कि आबकारी टीम द्वारा पन्ना शहर के सतना बैरियर स्थित साई कृपा ढाबा की विधिवत तलाशी ली गई जिसमें ढाबे के फ्रिज से 20 बोतल किंगफिशर बियर और 27 कैन बियर कुल 26.5 बल्क लीटर अवैध शराब जप्त कर आरोपी जितेंद्र राय पिता रामकृपाल राय उम्र 40 वर्ष निवासी रानीगंज मोहल्ला पन्ना के विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 36 (क) का अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। दूसरी तरफविट्नरी हॉस्पिटल रोड आगरा मोहल्ला में किराना दुकान चला रहे रोशन सिंह बुंदेला पिता पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला, उम्र 27 निवासी आगरा मोहल्ला की दुकान से अवैध 46 पाव देशी मदिरा सादा जप्त कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) का अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

गौवंश को खुला छोड़ने पर कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

नवभारत न्यूज

पन्ना, 16 जुलाई। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ऊषा परमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर आमजन की सुरक्षा, सड़क एवं वाहन दुर्घटनाओं पर रोकथाम तथा पशुओं और गौवंश की समुचित सुरक्षा व देखभाल की दृष्टि से खुली सड़कों पर पशुओं एवं गौवंश को छोड़ने एवं बैठने पर प्रतिबंध लगाया है।

जिसके तहत 15 जुलाई 2026 से आगामी दो माह तक जिले में नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, प्रमुख जिला मार्गों तथा ग्राम सड़क एवं शहरो के वार्डों की सड़कों पर कोई भी पालक अपने पशु व गौवंश को खुले में नहीं छोड़ेगा। स्वयं के दुग्ध के उपयोग के लिए पशुपालन करने वाले पशुपालक अपने पशु और गौवंश को अपने कैम्पस के अंदर रखेंगे। सभी पशुपालकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे पशु और गौवंश सार्वजनिक स्थानों सहित अन्य मार्गों पर न पहुंचें। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सभी जनपद पंचायत सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ, सरपंच, सचिव एवं रोजगार सहायकों को अपने कार्यक्षेत्र में सड़क अथवा सार्वजनिक स्थल पर पाए जाने वाले निराश्रित पशु या गौवंश को 15 दिवस के भीतर नजदीकी गौशाला में रखने की कार्यवाही के संबंध में निर्देशित किया गया है। इसके अलावा उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग सहित पशु चिकित्सक एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को गौशालाओं के सतत निरीक्षण, पंजी संधारण तथा टैगिंग कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौशाला में प्रवेश के पश्चात् गौवंश प्राप्त करने आने वाले पशुपालकों से खुराक खर्च एवं अर्थदण्ड लिया जाएगा। गौवंश एवं पालक की पहचान का रिकार्ड रखना भी आवश्यक है।

चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में किया गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

पन्ना, 16 जुलाई। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में पन्ना पुलिस को चोरी के एक मामले में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

थाना कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान में रात्रि के समय चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गया लगभग ?60000 मूल्य का मशरूका बरामद किया है। दिनांक 14 जुलाई को फरियादी नरेन्द्र गुप्ता, निवासी कटरा मोहल्ला, पन्ना द्वारा थाना कोतवाली पन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उन्होंने दिनांक 13 जुलाई को रात्रि लगभग 9 बजे अपनी दुकान नेहा प्रोविजन बंद कर शटर में ताला लगाकर घर चले गए थे। अगले दिन प्रात: लगभग 6 बजे दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि शटर में लगे ताले टूटे हुए थे। शटर खोलकर निरीक्षण करने पर दुकान का सामान बिखरा पड़ा था। सामान का मिलान करने पर एक बोरी राजश्री गुटखा, विभिन्न कंपनियों की सिगरेट के पैकेट, कुछ कूपन तथा काउंटर में रखी लगभग ?1,000 की नगदी गायब मिली। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि में ताले तोड़कर दुकान में प्रवेश कर लगभग ?60,000 मूल्य का सामान चोरी कर लिया गया था। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पन्ना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण एवं मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आरोपी रमजान खान उर्फसोहेल, पिता शेखचांद खान, उम्र 21 वर्ष, निवासी पहाड़कोठी, थाना कोतवाली, जिला पन्ना को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से चोरी गया मशरूका, जिसमें राजश्री गुटखा, विभिन्न कंपनियों की सिगरेट, कूपन एवं नगदी सहित कुल ?60000 मूल्य का सामान विधिवत बरामद एवं जप्त किया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रोहित मिश्रा, प्रधान आरक्षक मनीष कश्यप, सहित पुलिस टीम तथा सायबर सेल पन्ना की टीम का सराहनीय योगदान रहा।

विश्व युवा कौशल दिवस पर कार्यशाला एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 16 जुलाई। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़एक्सीलेंस छत्रसाल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना में एनसीसी इकाई द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. जे.के. वर्मा सभी प्रतिभागियों एवं आयोजकों को बधाई देते हुए युवाओं से कौशल विकास को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया इस अवसर पर, प्रो. मनोरमा गुप्ता, डॉ. डी.पी. कुशवाहा, डॉ. बी.एन. जायसवाल, डॉ. अनुराधा चौरसिया, डॉ. पीयूषा शर्मा सहित महाविद्यालय समस्त शैक्षणिक स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन एनसीसी केयरटेकर डॉ. अमरजीत साहू द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. रिंकू सिंह के निर्देशन में पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने कौशल विकास एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर आकर्षक एवं सृजनात्मक पोस्टर प्रस्तुत किए।

मेडिकल स्टोर्स का किया निरीक्षण

पन्ना, 16 जुलाई। औषधि निरीक्षक महिमा जैन द्वारा बागरी ड्रग एजेंसी ग्राम कटन तहसील गुनौर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान फर्म द्वारा विगत तीन माह में क्रय की गई लगभग 45 हजार बोतल कफ सीरप के विक्रय संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 तथा इसके अंतर्गत नियमावली 1945 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन भी पाया गया। प्राप्त अनियमितताओं के आधार पर संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका समय सीमा में कोई जवाब नहीं दिया गया।

रथ पर सवार होकर निकले जगत के नाथ, नगरवासियों ने किए दर्शन

ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ निकली महाप्रभु की रथ यात्रा

नवभारत न्यूज

पवई 16 जुलाई। देश प्रदेश के साथ पन्ना जिले में भी जगत के नाथ जगन्नाथ स्वामी जी की रथ यात्रा निकाली जा रही है। पवई नगर भी भक्ति और आस्था के रंग में सराबोर है।

गुरुवार को यात्रा के पहले दिन स्थानीय जगदीश स्वामी मंदिर सबसे पहले रथ की साफ सफाई की गई,जिसके बाद भगवान जगन्नाथ, बहिन सुभद्रा,भाई बलभद्र की प्रतिमाओं को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रथ में विराजमान किया गया, और मंगल आरती की गई जिसमें जनपद अध्यक्ष मोहनी आनंद मिश्रा, एसडीएम समीक्षा जैन,मंडल अध्यक्ष व अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।तत्पश्चात पुलिस बल के द्वारा सलामी(गॉड ऑफ ऑनर)दी गई। इसके बाद भगवान जगन्नाथ नगर वासियों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले, इस दौरान ढोल नगाड़ों और गाजे बाजे के साथ पूरा नगर जयघोष से गुंजायमान रहा। जय जगन्नाथ के जयकारों से पूरा नगर गूंज उठा। भक्तों ने रस्सियों की सहायता से रथ को खींचकर धर्म लाभ लिया। चाहे आम हो या खास सभी भगवान की भक्ति में लीन दिखाई दिए। रथ यात्रा जगदीश स्वामी मंदिर से शुरू होकर अजय मेडिकल,गांधी चौक,झंडा बाजार,कन्या शाला, मोहन्द्रा मोड से होते हुए नन्ही पवई पहुंची जहां रात्रि विश्राम होगा ।

ककरहटी में नायब तहसील न्यायालय का विधायक ने किया शुभारंभ

नवभारत न्यूज

पन्ना, 16 जुलाई। गुनौर विधानसभा क्षेत्र के ककरहटी में प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नायब तहसीलदार न्यायालय, ककरहटी का विधिवत शुभारंभ गुरूवार को गुनौर विधायक डॉ. राजेश वर्मा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ।

इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार एवं पूजा-अर्चना के साथ फीता काटकर न्यायालय का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉ. वर्मा ने कहा कि ककरहटी क्षेत्र के नागरिक लंबे समय से स्थानीय स्तर पर राजस्व न्यायालय की मांग कर रहे थे। अब नायब तहसील न्यायालय प्रारंभ होने से क्षेत्रवासियों को नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व विवाद सहित अन्य शासकीय कार्यों के लिए दूरस्थ तहसील मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे आमजन के समय और धन दोनों की बचत होगी तथा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, गति और सुगमता आएगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में गांव-गांव तक सुशासन और जनसुविधाएं पहुंचाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को अधिक से अधिक सेवाएं उनके निकटस्थ स्थान पर उपलब्ध हों, जिससे उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। ककरहटी में नायब तहसील न्यायालय का शुभारंभ इसी जनकल्याणकारी सोच का परिणाम है। विधायक डॉ. वर्मा ने कहा कि न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक सेवाओं की सुलभ उपलब्धता किसी भी क्षेत्र के विकास का महत्वपूर्ण आधार होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस न्यायालय के प्रारंभ होने से क्षेत्र के हजारों नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा और राजस्व संबंधी मामलों का त्वरित निराकरण संभव होगा।